

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1-जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
जनपद-आजमगढ़, इटावा एवं मुरादाबाद।

2-जिला पंचायत राज अधिकारी (मु0)/आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

संख्या: 1/शा0/67/2016-1/75/2016 लखनऊ:

दिनांक 2 जुलाई, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति सब प्लान) आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायतीराज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-31/2016/1803/33-3-2016-100(11)/2014 टीसी दिनांक 14 जुलाई, 2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु प्राविधानित धनराशि रू0- 15000.00 लाख में से अयशेष धनराशि रू0-520.00 लाख (रू0- पांच करोड़ बीस लाख मात्र) में से उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 14.7.2016 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या 8, 15, 17 में इंगित धनराशि रू0-519.031 लाख की धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय/वितरण हेतु (परिशिष्ट-01) व कालम संख्या 10 में इंगित रू0-0.969 लाख की धनराशि निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय हेतु (परिशिष्ट-02) इस प्रकार कुल रू0 520.00 लाख की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:-

1-उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

2-उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3-आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपयोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746 /दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।


4- उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जाएगी जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगे। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक"0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य प्राप्तियों-02-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। शासनादेश के संलग्नक में जनपद वार फॉट के कॉलम संख्या-10 में अंकित धनराशि रू0- 0.969 लाख निदेशक पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जाएगी। अयशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित फॉट में इंगित स्तर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

- 5-उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलौटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 6-उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी०सी० रोड एवं के०सी० ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।
- 7-आवंटित की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8-सी०सी०रोड एवं के०सी०ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9-शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
- 10-आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी०एम०-4 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाये। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
- 11-जनपद स्तर पर निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं की अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले 02 माह के लिए नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
- 12-किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 13-जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
- 14-धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 10-03-2017 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-146 पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

 (अनिल कुमार दमले)
 निदेशक,
 पंचायती राज, उ०प्र०।
 2 अक्टूबर 2016

संख्या: 1/शा०/67/1/2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र०, इलाहाबाद-211001.
4. विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण, उ०प्र० शासन।
5. उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद-आजमगढ़, इटावा एवं मुरादाबाद।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (प०), उ०प्र०।
10. उपनिदेशक (प०), पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०।
11. एस०पी०एम०यू०, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(Handwritten Signature)

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
2023/05/15

क्र.सं.	विवरण	प्रमाण	दिनांक
1
2
3

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-21/07/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-67-2016-1-75-2016
 आवंटन आदेश संख्या:- 008-75-2016
 अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)
 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
 05 - समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	97300 2794150	97300 2794150
	योग	वर्तमान प्रगामी	97300 2794150	97300 2794150

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रुपया सत्तानवे हजार तीन सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया सत्ताइस लाख चौरानवे हजार एक सौ पचास

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
 आग्रयण

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-21/07/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-67-2016-1-75-2016
आवंटन आदेश संख्या:- 007-75-2016
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
05 - समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9981000 9981000	9981000 9981000
2	इटावा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	18965000 18965000	18965000 18965000
3	आजमगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	22957000 22957000	22957000 22957000
	योग	वर्तमान प्रगामी	51903000 51903000	51903000 51903000

महायोग- (वर्तमान

आवंटन):-

रुपया पाँच करोड़ उनीस लाख तीन हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया पाँच करोड़ उनीस लाख तीन हजार

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
केशव सिंह

पंचायतीरान विभाग, 3090

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड के साथ नाली या के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-83 (एस0सी0पी0)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	जिन ग्रामों की धनराशि दी जाती है उनकी संख्या	क्यादायी संख्या/ शिवाधिकारी द्वारा कार्य योजना में अनुदान संख्या-83 के अनुसार कुल मांग	योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में अनुदान को शून्य आवंटित धनराशि	शेष आवश्यक्त	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि		कालम संख्या-7 के संघेक कार्यालय श्रव्य/कन्टीजेन्सी हेतु 02 प्रतिशत धनराशि का पॉट							कुल योग (कालम 10+15)	सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन हेतु वास्तविक प्रस्तावित धनराशि (7-16)	
						सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण (कार्यान्वय) 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी सहित	अधिष्ठात अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	अनुदान हेतु अनुपट्ट संस् पर (1.50 प्रतिशत)	आवृत्त संस् पर (0.20 प्रतिशत)	पंचायतीरान निदेशालय संस् पर (0.10 प्रतिशत)	कुल योग	कालम संख्या 11+12+13 +14 का योग	सहायक विभास अधिकारी कार्यालय संस् पर (0.10 प्रतिशत)	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय संस् पर (0.10 प्रतिशत)			कालम संख्या 14
1	आजमगढ़	11	230,000	0.000	230,000	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	इटावा	7	190,000	0.000	190,000	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	209,904
3	मुरादाबाद	4	100,000	0.000	100,000	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	173,389
	कुल	22	520,000	0.000	520,000	484,250	35,750	520,000	0,969	7,264	0,484	0,484	0,484	8,717	9,685	474,565	

नोट: कालम संख्या-10 की धनराशि निदेशक, पंचायतीरान विभाग, 3090 तथा कालम संख्या-8, 15 व 17 में इंगित धनराशि अनुदान के जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।

18

(रूपया पांच करोड़ बीस लाख रुपये मात्र)

प्रेषक,

एस0पी0सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 14 जुलाई 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में डा0 राम मनोहर लोहिया समय ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण हेतु अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति सबप्लान) के अन्तर्गत धनराशि आवंटित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/2507/2016-5/99/2016 दिनांक 08 जुलाई 2016 के संदर्भ में समय ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या-447/66-2012-05/2012, दिनांक 17-05-2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समय ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 1266/33-2-2012-4आर0डी0/12, दिनांक 13 जून, 2012 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंध एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत 2016-17 उक्त योजना के लिए प्रावधानित रू0 15000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 520.00 (रू0 पांच करोड़ बीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2016-17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समय ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपॉजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्षक " 1054'सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों -01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम -800-अन्य प्राप्तियों -02-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली " में ट्रान्सफर इन्टी द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फॉट के कालम संख्या- 10 में अंकित धनराशि रू 0.969 लाख निदेशक, पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जायेगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर संबंधित फॉट में इंगित स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के "लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05- समय ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स की व्यवस्था- 24-ब्रह्म निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) सी0सी0रोड एवं के0सी0ट्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(11) जनपद स्तर पर निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले 02 माह के लिए धनराशि नोडल अधिकारी/ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। अनिवार्य रूप से नोडल अधिकारी द्वारा गुणवत्ता एवं आवंटित धन के सापेक्ष कार्यों की स्थलीय निरीक्षण/प्रगति से प्रतिमाह शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(13) उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक, पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही साथ जनपदवार फॉट के सही होने का दायित्व भी निदेशक, पंचायती राज का होगा।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में प्राप्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- 6- समस्त मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
- 8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
- 9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

६